# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 15/2021/प्रा.पत्र/2021 | 04.02.2021 | 02.09.2021 |

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1–श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री स्व0 धारी लाल जैन विक्रेता/मेनेजर मैसर्स पवन किराणा स्टोर जैन मन्दिर के सामने सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
2–श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पवन किराणा स्टोर जैन मन्दिर के सामने सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0.

...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एंव धारा 31 की उपधारा (1)एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक **02.09.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.11.2020 को समय 2.53 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पवन किराणा स्टोर जैन मन्दिर के सामने सोहेला तहसीलदार पीपलू जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से बाबूलाल जैन पुत्र श्री स्व0 धारी लाल जैन विक्रेता/मेनेजर मैसर्स पवन किराणा स्टोर जैन मन्दिर के सामने सोहेला तहसीलदार पीपलू जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सूजी डबल रोज ब्राण्ड** (Suji Double Rose Brand )रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री बाबूलाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता बाबू लाल जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रा[illegible]ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1274

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500–500 ग्राम के 12 पेकेट पोलीपेक **सूजी डबल रोज ब्राण्ड** (Suji Double Rose Brand )रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 पैकेट इलेक्ट्रोनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता श्री बाबू लाल जैन को रू0 60/–अक्षरे साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सूजी डबल रोज ब्राण्ड** (Suji Double Rose Brand ) 2 किलोग्राम को 500–500 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 500 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बे मे अलग–अलग ज्यो का त्यो रखकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2593 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेट्कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2593 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. बाबूलाल जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4325 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2276/एक्ट/2020/2151 दिनांक 09.12.2020 अनुसार बाबू लाल जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सूजी डबल रोज ब्राण्ड (Suji Double Rose Brand ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (a) (i) (a), 3(1) (zf) (b) (ii), 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:11 IST
Reason: SelfAttested

अत: प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का सूजी डबल रोज ब्राण्ड (Suji Double Rose Brand )का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



Scanned by CamScanner

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सूजी डबल रोज ब्राण्ड** (Suji Double Rose Brand )का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सूजी डबल रोज ब्राण्ड** (Suji Double Rose Brand ) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री स्व0 घासी लाल जैन विकेता/मेनेजर मैसर्स पवन किराणा स्टोर जैन मन्दिर के सामने सोहेला तहसीलदार पीपलू जिला टोंक राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पॉच हजार रू0) अप्रार्थी श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पवन किराणा स्टोर जैन मन्दिर के सामने सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पॉच हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जांकर सुनाया गया।

2-9-21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:11 IST
Reason: SelfAttested



Scanned by CamScanner